INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(53)

प्रकरण क्रमांक / 17 विदिशा

R 1138-I-17

श्री रामशंकर शर्मा, अभि.
द्वारा आज दि. 12-4-17 को
प्रस्तुत
12-4-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सोनू शर्मा पुत्र श्री चन्द्रमोहन शर्मा
उम्र 35 साल , धन्धा चौकीदारी ,
निवासी ग्राम देवीटोरी , तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म.प्र. --- आवेदक

बनाम

भागचन्द्र पुत्र गरीबदास , आयु 53 साल ,
धन्धा खेती , निवासी ग्राम देवीटोरी
तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
---- अनावेदक

12-4-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. सन् 1957 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2015 व आदेश दिनांक 05.03.2015 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा प्र. क्र. 1 अ/56/14-15 भागचन्द विरूद्ध सोनू शर्मा के निर्णय से दुखी होकर ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1138/एक/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2015 एवं 05.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	